Meticulous Investigation & Prosecution

BAGHPAT POLICE

"ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में गैंगस्टर अधिनियम में पुलिस और अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी किए जाने पर आरोपी प्रदीप को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड की सजा-

अवगत कराना है कि अभियुक्त प्रदीप पुत्र रामशरण निवासी अग्रवाल मण्डी टटीरी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत के विरूद्ध थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 243/2011 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत किया गया था। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत चिन्हित किया गया था तथा श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में पुलिस व अभियोजन विभाग द्वारा प्रभावी पैरवी की गयी, जिसके परिणामस्वरूप दिनांक 21.05.2025 को मा0 न्यायालय अपर जिला जज एफटीसी प्रथम जनपद बागपत द्वारा अभियुक्त प्रदीप को हुई 02 वर्ष के कारावास व 05 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बागपत पुलिस की प्राथमिकता है तथा "ऑपरेशन कन्विक्शन" अभियान के क्रम में बागपत पुलिस का अभियुक्तों के विरूद्ध प्रभावी पैरवी कर सजा दिलाने का अभियान निरन्तर जारी रहेगा।

Baghpat Police | baghpatpolice | @baghpatpolice

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 21.05.2025

थाना बडौत पुलिस ने 02 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा 02 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार वारण्टी/अभियुक्तों का नाम व पता-

1-प्रदीप पुत्र कलीराम झीमर निवासी मौ0 आजादनगर कस्बा व थाना बड़ौत जनपद बागपत।

2-शहजाद पुत्र जमशेद निवासी कौताना थाना बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री अनूप कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

2-उ0नि0 श्री राम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

3-है0का0 438 कवित कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

4-है0का0 437 बलजीत कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

5-का0 893 राहुल शर्मा थाना बडौत जनपद बागपत।

6-का0 948 पंकज कुमार थाना बडौत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत दिनाँक 21.05.2025

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 297/25 धारा 103(1) बीएनएस व 3(2)5 एससी /एसटी एक्ट का सफल अनावरण करते हत्या से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनकी निशादेही पर घटना में प्रयुक्त एक फर्सा आलाकत्ल व एक आधार कार्ड बरामद।

संक्षिप्त विवरणः-

दिनांक 19.05.2025 को थाना बडौत पर वादी सतपाल पुत्र जयसिंह निवासी ग्राम ट्यौढी थाना बड़ौत जनपद बागपत ने सूचना दी कि अज्ञात अभियुक्तों द्वारा वादी के पुत्र विकास उम्र करीब 35 वर्ष की हत्या कर दी है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बडौत पर मु0अ0सं0 297/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. पंजीकृत किया गया।

नोट-उपरोक्त अभियोग में विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण पिन्टू व नीटू पुत्रगण रामकुमार निवासीगण ग्राम ट्यौढ़ी थाना बड़ौत जनपद बागपत के नाम प्रकाश में आये। उपरोक्त अभियोग में धारा 3(2)5 एससी /एसटी एक्ट की वृद्धी की गयी है।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने मु0अ0सं0 297/25 धारा 103(1) बी.एन.एस. व 3(2)5 एससी/एसटी एक्ट से सम्बन्धित 02 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनकी निशादेही पर एक फर्सा

आलाकत्ल तथा फर्सा वाली जगह से ही अभियुक्त पिन्टू का आधार कार्ड बरामद हुआ है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर आवश्यक एवं विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम पता:

1-पिन्टू पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम ट्यौढी थाना बडौत जनपद बागपत ।
2-अजय उर्फ नीटू पुत्र रामकुमार निवासी ग्राम ट्यौढी थाना बडौत जनपद बागपत ।

पूछताछ विवरण-

गिरफ्तार अभियुक्तों ने पूछताछ करने पर बताया कि वर्ष 2018 में हमारे गांव के विकास पुत्र सतपाल, मोनू पुत्र रोहताश, मन्नू पुत्र नन्हे, सचिन पुत्र जगदीश ने हमारे भाई अंकित की हत्या कर दी थी। जिसका मुकदमा थाना बडौत पर लिखवाया था ये सभी लोग उस मुकदमे में जेल गये थे । विकास पुत्र सतपाल करीब 02 वर्ष पूर्व जेल से जमानत पर आ गया था। जो हमे चिढाता था । दिनांक 19.05.25 को हम दोनों अपने खेत पर ज्वार काटने के लिये दोपहर के समय जा रहे थे तो रजबाहा पटरी पर हम दोनों को विकाश खडा मिला था । हमारे पास फरसा था, जब हम विकाश के पास पहुचे थे तो वह हमको धमकी देने लगा कि या तो मुकदमे में फैसला कर लो नही तो तुम दोनों को भी तुम्हारे भाई की तरह काटूगाँ । हमे गुस्सा आ गया और इसी के चलते हमने विकाश को पकड फरसे से उसकी हत्या कर दी तथा लाश को वही छोडकर तथा फरसे को रजवाहा पटरी पर झाडियों में छिपा कर भाग गये थे ।

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक फर्सा आलाकत्ल
- एक आधार कार्ड (अभियुक्त पिन्टू का)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-प्र0नि0 श्री मनोज कुमार चाहल थाना बडौत जनपद बागपत ।
2-उ0नि0 श्री सुरेश कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
3-उ0नि0 श्री आदित्य कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
4-है0का0 425 बीरेन्द्र सिंह थाना बडौत जनपद बागपत ।
5-है0का0 633 रूस्तम कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।
6-का0 463 पवन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना कोतवाली बागपत दिनाँक 21.05.2025

थाना कोतवाली बागपत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 285/25 धारा 115(2)/118(1)/352/351(2)/110 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.05.2025 को थाना कोतवाली बागपत पर वादी कैलाश पुत्र इकराम निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्तों 1.जीत, 2.श्रीचन्द, 3.बाबू पुत्रगण इकराम निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत द्वारा वादी के ऊपर हाथ में लिए फावडा व खरपाली से जानलेवा हमला कर दिया व गाली-गलौच करते हुये जान से मारने की धमकी दी जिससे वादी बेहोश हो गया। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बागपत पर मु0अ0सं0 285/25 धारा 115(2)/118(1)/352/351(2)/110 बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बागपत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 285/25 धारा 115(2)/118(1)/352/351(2)/110 बीएनएस में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

जीत उर्फ अजीत पुत्र इकराम निवासी ग्राम बाघू थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरी0 श्री मंजीत सिंह थाना बागपत जनपद बागपत।

2-है0का0 339 राकेश थाना बागपत जनपद बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बालैनी दिनाँक 21.05.25

थाना बालैनी पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 डायरी सटटा पर्चा, एक पैन व 695 रूपये नगद बरामद।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं सार्वजनिक स्थान पर जुआ/सटटा खेलने वाले अपराधियों के विरूद्व चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते समय एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है। जिसके कब्जे से 01 डायरी सटटा पर्चा, एक पैन व 695 रूपये नगद बरामद हुए है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बालैनी पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- सिकन्दर पुत्र मान सिंह निवासी ग्राम बुढसैनी थाना बालैनी जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- एक डायरी सट्टा पर्चा।
- 695 रूपये नगद।
- एक पैन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री देवेन्द्र सिंह थाना बालैनी बागपत।

2-उ0नि0 श्री गिर्राज किशोर थाना बालैनी बागपत।

प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बिनौली दिनाँक 21.05.2025

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 151/25 धारा 197/353(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 मोबाइल फोन बरामद।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 21.05.2025 को थाना बिनौली पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त गुल्लु मलिक पुत्र नवाब निवासी बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत द्वारा अपनी फेसबुक आईडी से सामप्रदायिक माहौल खराब करने हेतु हिन्दु संगठनो पर अपमानित टिप्पणी करने तथा देश के प्रधानमंत्री, ग्रहमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री पर अशोभनीय विडियो प्रसारित करने वाली भड़काऊ पोस्ट की गयी, जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई। इस सम्बन्ध में थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 151/25 धारा 197/353(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 151/25 धारा 197/353(2) बीएनएस व 67 आईटी एक्ट से सम्बन्धित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

गुलजार उर्फ गुल्लु मलिक पुत्र नवाब निवासी बिजवाडा थाना बिनौली जनपद बागपत

बरामदगी का विवरण-

- घटना में प्रयुक्त एक मोबाइल फोन।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-निरीक्षक अपराध श्री जितेन्द्र सिंह यादव थाना बिनौली जनपद बागपत

2- हो0गा0 413 सहन्सरपाल थाना बिनौली जनपद बागपत।